(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं0 8 (आर ई 2012)/2009-2014 दिनांक : 6 जुलाई, 2012

विषय : इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाण पत्र (ई - बीआरसी) प्रणाली का प्रारम्भ ।

सार्वजनिक सूचना सं0 2 (आरई-2012)2009-2014 दिनांक 5.6.2012 के जरिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को बैंकों द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप में ई - बीआरसी जारी करना और इनका हस्तांतरण 5.7.2012 से अनिवार्य बना दिया गया है ।

2. इलेक्ट्रानिक बीआरसी को अनिवार्य रूप से जारी करने और इसके हस्तांतरण की तिथि में विस्तार हेतु तैयारी पूरी न होने के कारण विभिन्न पणधारकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं । तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सुगम परिवर्तन हेतु बैंक से वास्तविक बीआरसी जारी करने की मौजूदा प्रणाली को 16/08/2012 तक की अवधि के लिए जारी रखा जाए ।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :-

वास्तविक बीआरसी से ई-बीआरसी प्रणाली में परिवर्तन हेतु बैंकों को 16.8.2012 तक के समय की अनुमति है ।

(अनुप के0 पूजारी)
विदेश व्यापार महानिदेशक
ई मेल : dgft@nic.in

(फाइल संख्या - 01/02/110/ए एम 12/ईडीआई से जारी)

PN 2011/Doc/RK